राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–12) विभाग

क्रमांक प.7(89)गृह–12/कारा/2014 पार्ट–5 जयपुर, दिनांक : 15-02-2024

:: मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) ::

माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में विचाराधीन रिट पिटिशन (सी) संख्या 406/2013 रि–इनह्यूमन कण्डिशन इन 1382 प्रिजनस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारित आदेश दिनांक 30.01.2024 में आदेशित किया है कि जिलों में अवस्थित कारागृहों में उपलब्ध बुनियादी ढांचे का आंकलन, विस्तार, नवीन कारागृहों का निर्माण निर्धारित मानकों के आधार पर किये जाने के सम्बन्ध में समस्त जिलों पर जिला स्तरीय समिति का गठन किया जावें। माननीय न्यायालय के आदेश की अनुपालना में विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 14.02.2024 द्वारा समस्त जिलों में जिला स्तरीय समिति का गठन किया जा चुका है, उक्त समिति द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं के सम्बन्ध में क्रियान्वयन आवश्यक रूप से किया जाना है:–

(1) जिला स्तरीय समिति का गठन किये जाने के उपरान्त 02 सप्ताह के भीतर आवश्यक रूप से बैठक आयोजित की जावें एवं नियमित रूप से बैठक भी आयोजित की जावें।

(2) उक्त समिति जेलों में उपलब्ध बुनियादी ढांचे का आकलन करेगी और जिलों में निर्मित होने वाली अतिरिक्त जेलों की संख्या पर विचार करेगी।

(3) राजस्थान कारागार नियम, 2022 में निर्धारित मानकों को पूरा करते हुये मौजूदा जेलों की वर्तमान क्षमता और अधिक जेलों के निर्माण या वर्तमान में स्थित जेलों की क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता का आंकलन करेगी।

(4) उपरोक्त के अतिरिक्त, समिति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने और मुलाक़ात और टेली–मेडिसिन सुविधाओं के संचालन के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू करने की आवश्यकता को भी ध्यान में रखेंगी।

(5) समिति जिले की वर्तमान क्षमता, अधिभोग और भविष्य की मांगों के आधार पर, जिले के भीतर मौजूदा जेलों के विस्तार और नई जेलों की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता की जांच करेगी और विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी। समिति जिलों में लंबित सभी चल रही परियोजनाओं/प्रस्तावों की स्थिति पर भी अद्यतन रिपोर्ट प्राप्त करेगी।

RajKaj Ref
5652319

(6) समिति यह सुनिश्चित करेगी कि परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निर्धारित किए गए समय पर कार्य पूर्ण किया जावें। जहां भी भूमि की कमी के कारण कोई परियोजना अभी शुरू नहीं हुई है, वहाँ समिति को भूमि की जॉच/पहचान कर अधिग्रहण/आवंटन के प्रयोजनों हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें। उक्त कार्य को शीघ्र करवाने के लिये मुख्य सचिव महोदय के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किये जावें। समिति को सम्बन्धित जिलों की जरूरतों की जांच करने की अनुमति है।

(7) राजस्थान कारागार नियम, 2022 में निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रस्ताव बनाये जायेगें। उक्त नियमों के तहत निर्धारित न्यूनतम आवश्यकताओं से समझौता नहीं किया जाएगा, कार्यान्वयन के लिए भविष्य के अनुमान कम से कम 50 वर्षों की अवधि में होंगे।

उपरोक्त बिन्दुओं के संदर्भ में जिला स्तरीय समिति पूर्णतया अध्ययन, विश्लेषण एवं आवश्यक बिन्दुओं का परीक्षण किये जाने के उपरान्त विस्तृत कार्य योजना सहित अभिशंषा के साथ प्रस्ताव महानिदेशालय कारागार, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(आनन्द कुमार),
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनु.–3) विभाग।
7. समस्त जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण।
8. महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर।
9. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
10. समस्त जिला मजिस्ट्रेट।
11. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक।
12. समस्त सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण।
13. समस्त जेल अधीक्षक मार्फत महानिदेशालय कारागार, राजस्थान, जयपुर।
14. प्रोग्रामर, गृह (समन्वय) विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने बाबत्।
15. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
5652319

अतिरिक्त मुख्य सचिव

Document certified by ANAND KUMAR <XOGIG78664@LEUPUS.COM>.
Digitally Signed by Anand Kumar
Designation : Additional Chief Secretary
Date :15-02-2023 11:14:02